

डिजिटल भारत और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में डॉ भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय अवधारणा का समकालीन अध्ययन

प्रो. डॉ चारू मिश्रा

शोध पर्यवेक्षक, अपेक्स विश्वविद्यालय जयपुर

शैतान सिंह चौहान

शोधार्थी, अपेक्स विश्वविद्यालय जयपुर

Mail - Sschouhan2345@gmail

मोबाइल 9119265801


सारांश

21वीं सदी में भारत तीव्र तकनीकी एवं शैक्षिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इंटरनेट, डिजिटल तकनीकों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा, समाज एवं प्रशासन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया डिजिटल इंडिया अभियान तथा नई शिक्षा नीति 2020 देश को समावेशी एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। हालाँकि डिजिटल असमानता, इंटरनेट की सीमित पहुँच, तकनीकी संसाधनों की कमी एवं डिजिटल निरक्षरता जैसी समस्याएँ सामाजिक न्याय के समक्ष गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं को अभी भी समान डिजिटल एवं शैक्षिक अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे संदर्भ में डॉ भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय, समानता एवं शिक्षा संबंधी विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम माना। प्रस्तुत शोधपत्र में डिजिटल भारत एवं नई शिक्षा नीति के संदर्भ में डॉ भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय अवधारणा का समकालीन अध्ययन किया गया है। अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है तथा पुस्तकों, शोधपत्रों, सरकारी रिपोर्ट्स एवं डिजिटल स्रोतों का उपयोग किया गया है।

मुख्य शब्द: डिजिटल भारत, नई शिक्षा नीति 2020, सामाजिक न्याय, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, समावेशी शिक्षा, डिजिटल समानता, लोकतंत्र, तकनीकी विकास

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विविधताएँ अत्यधिक व्यापक हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय के अधिकार प्रदान किए। संविधान निर्माण में डॉ भीमराव अम्बेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने सामाजिक न्याय को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा माना तथा शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार बताया। वर्तमान समय में भारत डिजिटल



क्रांति के दौर से गुजर रहा है। इंटरनेट, मोबाइल तकनीक, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस एवं सोशल मीडिया ने नागरिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया “डिजिटल इंडिया” अभियान प्रशासनिक पारदर्शिता, तकनीकी पहुँच एवं डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसी प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, लचीला, कौशल आधारित एवं समावेशी बनाने का प्रयास करती है।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास, नवाचार, शोध, तकनीकी दक्षता एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन अधिगम, बहुभाषिकता एवं समान अवसरों पर विशेष बल दिया गया है। हालाँकि भारत में डिजिटल एवं शैक्षिक विकास के बावजूद अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पास तकनीकी उपकरणों का अभाव, डिजिटल साक्षरता की कमी तथा सामाजिक विषमताएँ शिक्षा के लोकतंत्रीकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया कि समाज के सभी वर्ग तकनीकी संसाधनों तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहे हैं।

ऐसे समय में डॉ भीमराव अम्बेडकर के विचार आधुनिक भारत को दिशा प्रदान करते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा सामाजिक मुक्ति का सबसे प्रभावी माध्यम है तथा समाज में समान अवसरों की स्थापना के बिना लोकतंत्र अधूरा है। इसलिए डिजिटल भारत एवं नई शिक्षा नीति के संदर्भ में अम्बेडकरवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है।


शोध के उद्देश्य

1. डॉ भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों का अध्ययन करना।
2. डिजिटल भारत एवं नई शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्यों एवं प्रभावों का विश्लेषण करना।
3. तकनीकी विकास एवं शैक्षिक समानता के संबंध का अध्ययन करना।
4. समकालीन भारतीय समाज एवं लोकतंत्र में अम्बेडकरवादी विचारों की प्रासंगिकता स्पष्ट करना।
5. डिजिटल एवं शैक्षिक असमानताओं के संदर्भ में सामाजिक न्याय की चुनौतियों का अध्ययन करना।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। शोध के लिए विभिन्न पुस्तकों, शोधपत्रों, सरकारी रिपोर्ट्स, शिक्षा नीति दस्तावेजों, जर्नल्स एवं डिजिटल स्रोतों का अध्ययन किया गया। अध्ययन का उद्देश्य डिजिटल भारत एवं नई शिक्षा नीति के संदर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणा का विश्लेषण करना तथा डॉ भीमराव अम्बेडकर के विचारों की समकालीन उपयोगिता को स्पष्ट करना है। अध्ययन में तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का भी उपयोग किया गया है ताकि आधुनिक तकनीकी एवं शैक्षिक विकास के सामाजिक प्रभावों को समझा जा सके।

डॉ भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय अवधारणा



डॉ भीमराव अम्बेडकर भारतीय समाज के उन महान चिंतकों में से थे जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता एवं मानव गरिमा को लोकतंत्र का मूल आधार माना। उनका संपूर्ण जीवन सामाजिक विषमता, जातिगत भेदभाव एवं अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक रहा। उन्होंने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को पर्याप्त नहीं माना, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक समानता को भी लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त बताया। डॉ भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि यदि समाज में व्यक्ति को सम्मान, समान अवसर एवं स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, तो लोकतंत्र केवल औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाएगा। इसलिए उन्होंने सामाजिक न्याय को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहा। उनके विचारों में सामाजिक न्याय केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने की व्यापक अवधारणा थी।

1. सामाजिक न्याय का अर्थ एवं स्वरूप :- डॉ भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ समाज में व्याप्त असमानताओं, भेदभाव एवं शोषण को समाप्त कर प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर एवं अधिकार प्रदान करना है। वे जाति-व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या मानते थे क्योंकि यह व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता के बजाय जन्म के आधार पर उसका सामाजिक स्थान निर्धारित करती है।

उनका मानना था कि सामाजिक न्याय तभी संभव है जब समाज में—

- समान अवसर उपलब्ध हों,
- मानव गरिमा का सम्मान हो,
- सामाजिक भेदभाव समाप्त हो,
- शिक्षा एवं संसाधनों तक सभी की पहुँच हो,
- तथा कमजोर वर्गों को संरक्षण प्राप्त हो।

अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय केवल आर्थिक विकास से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए सामाजिक चेतना एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास आवश्यक है।

2. समानता का सिद्धांत :- डॉ भीमराव अम्बेडकर समानता को सामाजिक न्याय का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानते थे। उनका विचार था कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति की पहचान उसके जन्म, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उसकी योग्यता एवं मानवता के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित जातिगत ऊँच-नीच का कठोर विरोध किया। उनके अनुसार जाति व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सामाजिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि जब तक जाति-व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, तब तक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, अस्पृश्यता उन्मूलन तथा आरक्षण व्यवस्था जैसे प्रावधानों के पीछे डॉ भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय संबंधी दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है।

3. शिक्षा : सामाजिक परिवर्तन का माध्यम :- डॉ भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का सबसे प्रभावी साधन माना। उनका प्रसिद्ध नारा “शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो” सामाजिक चेतना एवं आत्मसम्मान का संदेश देता

है। उनका मानना था कि शिक्षा के बिना व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने वंचित एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार—“ज्ञान ही मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है।” उन्होंने महिलाओं एवं दलित वर्गों की शिक्षा को विशेष महत्व दिया क्योंकि वे मानते थे कि शिक्षा समाज में आत्मविश्वास, समानता एवं सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाती है। वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति एवं डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में अम्बेडकर के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं क्योंकि आज भी समाज के अनेक वर्ग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं।

4. स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणा :- डॉ भीमराव अम्बेडकर ने फ्रांसीसी क्रांति के मूल आदर्श—स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व—को भारतीय लोकतंत्र का आधार माना। उनके अनुसार ये तीनों मूल्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति एवं जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करने पर बल दिया। समानता के बिना स्वतंत्रता केवल शक्तिशाली वर्गों का विशेषाधिकार बन सकती है। इसलिए उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक समानता को आवश्यक माना। बंधुत्व सामाजिक समरसता एवं पारस्परिक सम्मान की भावना को बढ़ाता है। उनके अनुसार बंधुत्व के बिना समाज में एकता एवं लोकतंत्र संभव नहीं है।


5. संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा :- डॉ भीमराव अम्बेडकर ने “संवैधानिक नैतिकता” को लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य बताया। उनका मानना था कि केवल संविधान बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नागरिकों एवं शासकों दोनों को संवैधानिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता के अंतर्गत—

- समानता का सम्मान,
- विधि का शासन,
- मानव अधिकारों की रक्षा,
- तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान शामिल है।

उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ बनी रहें, तो राजनीतिक लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा।

6. आर्थिक न्याय एवं श्रमिक अधिकार :- डॉ भीमराव अम्बेडकर केवल सामाजिक समानता तक सीमित नहीं थे, बल्कि आर्थिक न्याय के भी समर्थक थे। उनका मानना था कि आर्थिक संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण समाज में असमानता को बढ़ाता है। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों, न्यूनतम मजदूरी, कार्य समय निर्धारण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने श्रमिक कल्याण से संबंधित अनेक सुधार लागू किए। उनके अनुसार आर्थिक समानता के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है।

7. महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय :- डॉ भीमराव अम्बेडकर महिलाओं की समानता एवं अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति अधिकार एवं सामाजिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति एवं विवाह संबंधी अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि किसी समाज की प्रगति का आकलन वहाँ की महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है।



8. लोकतंत्र एवं सामाजिक न्याय :- डॉ भीमराव अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जीवन की ऐसी पद्धति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान एवं समान अवसर प्राप्त हो। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब समाज में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो। उनका यह दृष्टिकोण आज के डिजिटल एवं वैश्विक युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि तकनीकी विकास के बावजूद सामाजिक विषमताएँ अभी भी मौजूद हैं।

9. समकालीन संदर्भ में अम्बेडकर की सामाजिक न्याय अवधारणा की प्रासंगिकता :- आज के समय में डिजिटल भारत, नई शिक्षा नीति, तकनीकी विकास एवं वैश्वीकरण के दौर में अम्बेडकर की सामाजिक न्याय अवधारणा अत्यंत प्रासंगिक हो गई है। वर्तमान संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता निम्न रूपों में दिखाई देती है—

1. डिजिटल एवं शैक्षिक समानता की आवश्यकता
2. वंचित वर्गों के लिए समान अवसर
3. सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण
4. शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण
5. तकनीकी विकास को मानवीय मूल्यों से जोड़ना
6. लोकतांत्रिक एवं समावेशी समाज की स्थापना

आज जब समाज डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तब यह आवश्यक है कि तकनीकी एवं शैक्षिक विकास समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचे। अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह समावेशी एवं न्यायपूर्ण हो।

डिजिटल भारत : अवधारणा एवं महत्व

Government of India द्वारा प्रारंभ किया गया “डिजिटल इंडिया” अभियान भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इसका मूल उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सेवाओं, इंटरनेट सुविधाओं एवं तकनीकी संसाधनों से जोड़ना तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं प्रभावी बनाना है।

21वीं सदी में सूचना एवं संचार तकनीक ने समाज की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है। वर्तमान समय में शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, प्रशासन, व्यापार एवं सामाजिक संचार का बड़ा भाग डिजिटल माध्यमों द्वारा संचालित हो रहा है। भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में डिजिटल तकनीकों का उपयोग नागरिक सेवाओं को अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। डिजिटल भारत केवल तकनीकी विकास का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का भी माध्यम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर को कम करना तथा समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है।

डिजिटल भारत के प्रमुख उद्देश्य

- **डिजिटल अवसंरचना का विकास :-** डिजिटल भारत का प्रमुख उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक तक इंटरनेट एवं डिजिटल सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत ब्रॉडबैंड सेवाओं, मोबाइल कनेक्टिविटी एवं डिजिटल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भारतनेट जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इंटरनेट सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- **इंटरनेट सेवाओं का विस्तार :-** इंटरनेट आधुनिक समाज में सूचना एवं ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक उच्च गति इंटरनेट सेवाओं को पहुँचाना है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक सेवाओं तक सभी नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- **ई-गवर्नेंस को बढ़ावा :-** सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराना डिजिटल भारत का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ऑनलाइन प्रमाण पत्र, डिजिटल भुगतान, ई-ऑफिस, आधार आधारित सेवाएँ एवं डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी एवं सरल बनाया है।
- **डिजिटल साक्षरता का विकास :-** डिजिटल तकनीकों का प्रभावी उपयोग तभी संभव है जब नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर हों। इसलिए डिजिटल भारत अभियान के अंतर्गत नागरिकों को कंप्यूटर, इंटरनेट एवं ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- **सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता :-** सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराकर नागरिकों को घर बैठे सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। इससे समय एवं संसाधनों की बचत हुई है तथा भ्रष्टाचार में कमी लाने में सहायता मिली है।
- **तकनीकी माध्यम से पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाना :-** डिजिटल तकनीकों के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ी है। ऑनलाइन निगरानी एवं डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली ने सरकारी कार्यों को अधिक उत्तरदायी एवं प्रभावी बनाया है।

डिजिटल भारत का सामाजिक प्रभाव

डिजिटल तकनीकों ने भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन प्रस्तुत किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग एवं प्रशासनिक सेवाओं तक पहुँच पहले की तुलना में अधिक आसान एवं सुलभ हुई है।

- **शिक्षा पर प्रभाव :-** ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पुस्तकालय, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म एवं वर्चुअल कक्षाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएँ उत्पन्न की हैं। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा ने विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। DIKSHA, SWAYAM एवं PM eVIDYA जैसे प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुए।
- **स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव :-** टेलीमेडिसिन एवं ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिक भी विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच में वृद्धि हुई है।

- **बैंकिंग एवं आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव :-** डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान एवं UPI प्रणाली ने आर्थिक गतिविधियों को अधिक सरल एवं सुरक्षित बनाया है। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने नकदी पर निर्भरता को कम किया है तथा आर्थिक पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है।
- **प्रशासनिक सेवाओं पर प्रभाव :-** ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं की उपलब्धता अधिक आसान हुई है। ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल प्रमाण पत्र एवं सरकारी पोर्टलों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है।
- **सामाजिक जागरूकता एवं लोकतांत्रिक सहभागिता :-** सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म ने नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता एवं लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ाया है। नागरिक अब विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। हालाँकि डिजिटल विकास के बावजूद समाज के सभी वर्ग समान रूप से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इंटरनेट असमानता, तकनीकी संसाधनों की कमी एवं डिजिटल निरक्षरता सामाजिक न्याय के समक्ष गंभीर चुनौती बनी हुई है।

नई शिक्षा नीति 2020 : उद्देश्य एवं विशेषताएँ

Ministry of Education द्वारा प्रस्तुत नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। लगभग 34 वर्षों के बाद भारत की शिक्षा नीति में व्यापक परिवर्तन किए गए। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, व्यावहारिक, कौशल आधारित एवं तकनीकी रूप से आधुनिक बनाना है। नई शिक्षा नीति केवल परीक्षा केंद्रित शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास, नवाचार, रचनात्मकता एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा पर बल देती है।

नई शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य

- नई शिक्षा नीति का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने पर बल दिया गया है।
- विद्यार्थियों को मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया है ताकि वे अपनी भाषा एवं संस्कृति से जुड़े रह सकें।
- नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें व्यावसायिक एवं तकनीकी कौशल प्रदान करने पर बल देती है ताकि वे रोजगार के लिए अधिक सक्षम बन सकें।
- ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लर्निंग एवं तकनीकी संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना नई शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
- उच्च शिक्षा एवं शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा के लोकतंत्रीकरण के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करना है।

नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएँ


- नई शिक्षा नीति में पारंपरिक 10+2 प्रणाली को बदलकर 5+3+3+4 संरचना लागू की गई है, जो विद्यार्थियों के आयु एवं विकास स्तर के अनुरूप है।
- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। इससे विद्यार्थियों की समझ एवं सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है।
- डिजिटल तकनीकों के माध्यम से शिक्षा को अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है।
- विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के अध्ययन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि वे अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- विद्यालय स्तर से ही कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है।
- नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता सुधार को अत्यधिक महत्व दिया गया है क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक पर निर्भर करती है।

डिजिटल भारत, नई शिक्षा नीति और सामाजिक न्याय

- **शिक्षा का लोकतंत्रीकरण :-** डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इससे शिक्षा तक पहुँच का विस्तार हुआ है तथा शिक्षा अधिक लोकतांत्रिक बनी है।
- **वंचित वर्गों का सशक्तिकरण :-** डिजिटल साक्षरता एवं तकनीकी शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नए अवसर प्रदान कर सकती है। इससे रोजगार एवं आत्मनिर्भरता के अवसर बढ़ते हैं।
- **समान अवसर की स्थापना :-** नई शिक्षा नीति एवं डिजिटल भारत का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है ताकि समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय स्थापित हो सके।
- **महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण :-** डिजिटल शिक्षा महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षा एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान कर सकती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन सकती है।
- **लोकतांत्रिक सहभागिता :-** डिजिटल माध्यम नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता एवं लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मंच नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं।

अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण की समकालीन प्रासंगिकता

- डॉ भीमराव अम्बेडकर का दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि तकनीकी एवं शैक्षिक विकास तभी सार्थक होगा जब उसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचे।
- नई शिक्षा नीति एवं डिजिटल भारत को सामाजिक न्याय एवं समान अवसर के सिद्धांतों के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए।



- समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को डिजिटल एवं शैक्षिक नीतियों में समाहित करना आवश्यक है।
- डॉ भीमराव अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाया जाना चाहिए।


निष्कर्ष

डिजिटल भारत एवं नई शिक्षा नीति 2020 भारत को आधुनिक, तकनीकी रूप से सशक्त एवं ज्ञान आधारित समाज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। ये पहलें शिक्षा एवं तकनीकी पहुँच का विस्तार करके सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक हो सकती हैं। हालाँकि डिजिटल विभाजन, आर्थिक विषमता एवं तकनीकी संसाधनों की असमान उपलब्धता जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। इसलिए आवश्यक है कि तकनीकी एवं शैक्षिक विकास को सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक मूल्यों के साथ जोड़ा जाए। डॉ भीमराव अम्बेडकर के विचार वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा, समानता एवं मानव गरिमा को लोकतंत्र का आधार माना था। यदि डिजिटल भारत एवं नई शिक्षा नीति को अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण के अनुरूप लागू किया जाए, तो भारत में समावेशी, न्यायपूर्ण एवं लोकतांत्रिक समाज की स्थापना संभव हो सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

पुस्तकें

- [1] अम्बेडकर, भीमराव. *जाति का विनाश* नई दिल्ली: गौतम बुक सेंटर।
- [2] अम्बेडकर, भीमराव. *भारत का संविधान और सामाजिक न्याय* नई दिल्ली: राजपाल एंड संस।
- [3] अम्बेडकर, भीमराव. *शूद्र कौन थे?* नई दिल्ली: सम्यक प्रकाशन।
- [4] शर्मा, आर. एन. *भारतीय शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन* मेरठ: सुर्या पब्लिकेशन।
- [5] सिंह, योगेंद्र. *भारतीय समाज और आधुनिकता* नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन।
- [6] कुमार, दीपक. *डिजिटल समाज और भारत* नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
- [7] Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum Publication.
- [8] Sen, Amartya. *The Idea of Justice*. London: Penguin Books.
- [9] "Digital Education and Social Justice in India." *Journal of Educational Studies*, Vol. 12, No. 3, 2022.
- [10] "NEP 2020 and Inclusive Education." *Indian Journal of Education Policy*, Vol. 8, No. 2, 2021.
- [11] "Digital Divide in India." *Economic and Political Weekly*, Vol. 56, No. 14, 2021.



[12] "Technology and Social Equality." *Journal of Social Sciences*, Vol. 18, No. 1, 2020.

[13] "Online Education and Digital Inequality in India." *University News Journal*, Vol. 59, No. 15, 2021.